

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्ताला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

जगदीश बनाम महावीर आदि

दावा बाबत :- 88,188 RA Act

मुकदमा नम्बर :- 15/2020

निर्णय दिनांक :- 20-10-2021

वादी की ओर से वकील लीलाधर अग्रवाल की व प्रतिवादी सं0 192 की ओर से वकील कृष्णा मारी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20-10-2021 को मुझ शकुन्ताला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रही मौजा चक 13 AMIS के खाला सं0 102/101 के मुं नं 29 के किल्ला नं 11, 2/2, 20 कुल 0.696 है, मुं नं 30 के किल्ला नं 14/2 की 0.127 है, किल्ला नं 15 की 0.253 है कुल रकम 1.0760 है, जिसमें नदरी 1.0510 है, गे0 मुं खाला 0.0250 है कृषि-भूमि प्रतिवादी सै। महावीर के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में सै अंकल प्रतिवादी सै। महावीर के बजाए वादी व प्रतिवादी सं0 192 को व हिस्सा बराबर के अनुसार खतोदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं यदि कृषि भूमि बंका में रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमल सामय किया जावे। राजीनामा को डिक्री का मार्ग पढा जावे

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्ताला चौधरी) R.A.S. उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला इंदूर गढ़ कच्छ साहूवाला